भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 563
दिनांक 03 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

किसान और डेयरी मालिक

563. श्री जिया उर रहमानः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल जिले सहित देशभर के किसान और डेयरी मालिक चारे की बढ़ती कीमतों, पशु रोगों और दूध की कम खरीद दरों जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार, पशु रोगों पर नियंत्रण, दूध के उचित मूल्य सुनिश्चित करने और दुग्ध उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के पास डेयरी किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं, जैसे चारे की बढ़ती कीमतों, पशु रोगों और दूध खरीद की कम कीमतों के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने चारा उत्पादन, दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, पशु रोगों के नियंत्रण और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अनुपूरित करने हेतु संभल जिले और पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित देशभर में निम्नलिखित उपाय किए हैं:
1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): RGM को देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन पशुओं के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य AI कवरेज को बढ़ाना और देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के सीमन के साथ किसान के द्वार तक गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं (AI) उपलब्ध कराना है। आज की तारीख तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9.54 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 14.99 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 5.69 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 144.74 लाख पशुओं को कवर किया गया, 231.92 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए और 80.29 लाख किसान लाभान्वित हुए तथा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 1.89 लाख पशुओं का गर्भाधान किया गया, 3 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए और 1.10 लाख किसान लाभान्वित हुए।

(ii) सेक्स सॉर्टेड सीमन: देश में 90% तक सटीकता के साथ बछियों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक की शुरुआत की गई है। देश में विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन

तकनीक शुरु की गई है और इस तकनीक से सेक्स सॉर्टेड सीमन की कीमत काफी कम हो गई है तथा किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमन सही दर पर मिल रहा है। अब तक, देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का इस्तेमाल करके 1.34 करोड़ सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराकें बनाई गई हैं।

(iii) सेक्स सॉर्टेड सीमन के प्रचार-प्रसार के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है और सुनिश्चित गर्भधारण पर किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।

(iv) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तक्नीशियन (MAITRIs): किसानों के द्वार तक गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध कराने के लिए MAITRIs को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। आज की तारीख तक, देश में 39810 MAITRIs को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन्हें शामिल किया जा चुका है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में 7300 MAITRIs और संभल में 135 MAITRIs को शामिल किया गया है ।

(v) देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है। विभाग ने इस उद्देश्य के लिए पूरे भारत में 24 IVF प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। IVF तकनीक का लाभ उठाते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उन्नत प्रजनन पद्धतियों को किसानों के द्वार तक पहुंचाया जा सके, जिसमें प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था के लिए 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इन प्रयोगशालाओं से 28358 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए गए हैं और इनमें से 16065 भ्रूण स्थानांतरित किए गए हैं तथा 2593 बछड़े-बछियों का जन्म हुआ है। देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं का प्रसार करने के लिए, विभाग ने उत्तर प्रदेश में 1 IVF प्रयोगशाला स्थापित की है और 627 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए हैं, जिसमें 505 भ्रूण स्थानांतरित किए गए हैं और 126 बछड़े-बछियों का जन्म हुआ है।

(vi) देशी नस्लों के सांडों समेत उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड पैदा करने के लिए संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रम लागू किया गया है । गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण लागू किया जा रहा है। वंशावली चयन कार्यक्रम के तहत राठी, थारपारकर, हरियाना, कांकरेज नस्ल के गोपशुओं और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसों को कवर किया गया है। अब तक, 4466 उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांड पैदा किए गए हैं और सीमन उत्पादन के लिए सीमन केंद्रों को उपलब्ध कराए गए हैं।

(vii) देशी नस्लों के सीमन सहित सीमन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए सीमन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। अब तक 47 सीमन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(viii) किसानों में जागरूकता पैदा करना: इस योजना के तहत, देशी बोवाइन नस्लों के महत्व के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिताएं, बछड़ा-बछिया रैलियां, सेमिनार, कार्यशालाएं और कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): NPDD को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

(i) NPDD का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/ स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/ दूध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधा हेतु अवसंरचना तैयार करने/सुदृढ़ करने पर फोकस करता है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में 8 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है,

जिनकी कुल परियोजना लागत 9123.78 लाख रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 7496.00 लाख रुपए है।

(ii) NPDD योजना के घटक "ख" "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना का उन्नयन करके तथा उत्पादक के स्वामित्व वाले संस्थानों की क्षमता बढ़ाकर दूध एवं डेयरी उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना है।

3. डेयरी क्रियाकलापों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO): राज्य डेयरी सहकारी परिसंघ को सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और जल्द भुगतान करने पर अतिरिक्त 2%) देकर सहायता करना, ताकि वे गंभीर प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा होने वाले संकट से निपट सकें।

4. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): AHIDF पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% की वार्षिक दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाज़ार तक ज़्यादा पहुंच मिलती है।

5. चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन वाली केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' कार्यान्वित कर रहा है। पशु आहार और चारा संबंधी उप-मिशन में निम्निलिखित घटक हैं:

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता
(ii) पशु आहार और चारे में उद्यमशीलता क्रियाकलाप
(iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा बीज भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमी तैयार करना
(iv) गैर-वनीय बंजर भूमि/रेंजभूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन' और 'वन भूमि से चारा उत्पादन'

भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, चारा किसान उत्पादक संगठन (FPO) की स्थापना में सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य चारा उत्पादों - साइलेज, हे, सूखा चारा ब्लॉक, कुल मिश्रित राशन (TMR), प्लांटिंग सामग्री, चारा बीज आदि के उत्पादन और बिक्री की संगठित व्यवस्था का निर्माण करना और देश में चारे की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना है। अब तक 100 चारा FPO पंजीकृत हो चुके हैं।

6. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): पशुओं के रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता के निर्माण, रोगों की निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे देश में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है। इससे किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार होगा। अब तक, उत्तर प्रदेश में FMD के लिए 16.01 करोड़ और ब्रुसेलोसिस के लिए 24.95 लाख, पेस्ट डेस पेटिट्स-रूमिनेंट्स के लिए 1.28 लाख टीकाकरण किए गए हैं।

*****